न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2011

खेमसिंह पुत्र श्री भूरसिंह जाति रावत निवासी सेंदरिया तहसील ब्यावर जिला–अजमेर

.....**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला–अजमेर। .....**रेस्पोन्डेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री लक्ष्मणनाथ योगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक–04.07.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सेंदरिया के साबिक खसरा नं0 237 मिन हाल 302 रकबा 0–11–00 बीघा एवं साबिक खसरा नं0 238 मिन हाल 303 रकबा 0–10–10 बीघा किस्म चाही दोयम कुल रकबा 1–1–10 बीघा एवं खसरा न0 226 रकबा 3 बिस्वा किस्म चाह के रेकार्डेड खातेदार राजू पुत्र गोपा जी जाति भांबी निवासी सेंदरिया तहसील ब्यावर द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.11.1962 द्वारा रूबरू गवाहान अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा व दखल सौंप दिया था। तत्समय से अपीलान्ट प्रश्नगत क्रयशुदा आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, केता तथा विकेता के विश्वाशश्रित सम्बन्ध होने तथा सहवन से प्रश्नगत आराजी का अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हो पाया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत विक्रय पत्र के आधार पर अधिकार अभिलेख में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष उजरदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट के हक में दिनांक 29.3.78 को निर्णित की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रश्नगत पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अमल दरामद कराने का आदेश दिनांक 29.3.78 को पारित फरमाया। इसके बावजूद भी अपीलान्ट का नाम अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज नहीं किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा अनेक बार कैम्प में निवेदन किया गया। फिर भी नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने पर दिनांक 21.4.2011 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज करते हुए फौरी तौर पर आदेश दिनांक 1.6.2011 से प्रार्थना पत्र निरस्त फरमा दिया गया। रेस्पोडेन्ट के इसी आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी कर अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील कथनों की ताईद करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम सेंदरिया के साबिक खसरा नं0 237 मिन हाल 302 रकबा 0–11–00 बीघा एवं साबिक खसरा नं0 238 मिन हाल 303 रकबा 0–10–10 बीघा किस्म चाही दोयम कुल रकबा 1–1–10 बीघा

जिला कलक्टर
अजमेर

एवं खसरा न0 226 रकबा 3 बिस्वा किस्म चाह जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.11.1962 भूमि के रेकार्डेड खातेदार राजू पुत्र गोपा जी जाति भांबी निवासी सेंदरिया तहसील ब्यावर से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया। तत्समय से अपीलान्ट प्रश्नगत क्रयशुदा आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। सहवन से तथा क्रेता तथा विक्रेता के विश्वाशश्रित सम्बन्ध होने के कारण प्रश्नगत आराजी का अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हो पाया। तत्पश्चात राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति को हस्तान्तरित मानने के कारण अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हो पाया। विक्रेता राजू पुत्र गोमा की जाति "भाम्बी" को दिनांक 21.7.1965 को अजमेर जिले में अनुसुचित जाति में शामिल किया गया। जबकि अपीलान्ट के हक में विक्रय पत्र दिनांक 7.11.1962 को ही निष्पादित होकर 9.11.1962 को पजीबद्ध किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत विक्रय पत्र के आधार पर अधिकार अभिलेख में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष उजरदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 29.3.78 को अपीलान्ट के हक में निर्णित हुआ। जिसकी पालना में तहसीलदार ब्यावर द्वारा प्रश्नगत पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अमल दरामद कराने का आदेश दिनांक 29.3.78 को पारित फरमाया। इसके बावजूद भी अपीलान्ट का नाम अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा अनेक बार कैम्प में भी निवेदन किया गया। फिर भी नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने पर दिनांक 21.4.2011 को तहसीलदार ब्यावर के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज करते हुए फौरी तौर पर आदेश दिनांक 1.6.2011 से प्रार्थना पत्र निरस्त फरमा दिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 1.6.2011 निरस्त फरमाते हुए ग्राम सेंदरिया की प्रश्नगत आराजी का निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 7.11.62, पंजीकरण दिनांक 9.11.62 के आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व रेकार्ड (जमाबन्दी) में अपीलान्ट का नाम बहैसियत खातेदार अमल दरामद करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब मे उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि अनुसूचित जाति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियो के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार प्रश्नगत भूमि मु. कमला बेवा राजू कौम बलाई की खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय में अपीलान्ट एवं वर्तमान खातेदार श्रीमती कमला के विरूद्ध वादी भैरू वल्द एदूलजी नाई निवासी ब्यावर द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183 प्रस्तुत किया गया जिसमे वादी की मृत्यु पश्चात उनके वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के आदेश दिनांक 18.3.74 से उक्त वाद अदम हाजरी एवं अदम सबूत में खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी खारिज किये जाने पर इसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो स्वीकार होने पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रिविजन प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 14.3.83 से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी का आक्षेपित आदेश खारिज किया गया है। इससे जाहिर है कि प्रश्नगत भूमि बाबत सम्पूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गये है। अपीलान्ट, वांछित अनुतोष हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते है। इस स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत नही होती है।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली को अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि बाबत अपीलान्ट एवं वर्तमान खातेदार के विरूद्ध तीसरे पक्ष द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत वाद उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, जो आदेश दिनांक 18.3.74 से अदम हाजरी में खारिज किया गया। जिसे रेस्टोर हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी खारिज होने पर उसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 5.8.75 से स्वीकार की गई। इसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष रिवीजन पेश की गई जो निर्णय दिनांक 14.3.83 से स्वीकार की जाकर आक्षेपिय आदेश निरस्त किया गया। इससे जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि बाबत सम्पूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किये गये हैं। चूकि प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दिनांक 9.11.62 को जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र बेचान की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त हस्तान्तरण प्रतिबन्धित है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि कमला बेवा राजू बलाई की खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित अनुतोष सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिये ही प्राप्त किये जा सकते है। अस्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कानुनी आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर